



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र  
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

*Published by Authority*

श्रावण 9, शुक्रवार, शाके 1942- जुलाई 31, 2020  
*Sravana 9, Friday, Saka 1942- July 31, 2020*

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज़ार्ये।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 23, 2020

**संख्या प.1(1)चिस्वा/गुप-2/2020** :-राज्य में NABL मान्यता प्राप्त (accredited) एवं ICMR से COVID-19 जांच हेतु अनुमोदित निजी चिकित्सालयों/निजी प्रयोगशालाओं में कोविड-19 की जांच के संबंध में पूर्व में जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 20.06.2020 के बिन्दु संख्या दो में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

कोविड-19 की जांच हेतु मरीजों के सैम्पल NABL मान्यता प्राप्त एवं ICMR से कोविड-19 की जांच हेतु अनुमोदित निजी चिकित्सालयों/निजी प्रयोगशालाओं की ओपीडी में भी लिये जा सकेंगे। इस हेतु सभी निजी चिकित्सालयों/निजी प्रयोगशालाओं को पृथक से Sampling Room की व्यवस्था करनी होगी।

ऐसे निजी अस्पताल जो कोविड-19 जांच हेतु NABL मान्यता प्राप्त एवं ICMR से अनुमोदित है, उनमें जांच/उपचार हेतु कोविड-19 के Symptomatic मरीज के आने पर उसका सैम्पल IDP में ही लिया जावे। Asymptomatic व्यक्ति का सैम्पल ओ.पी.डी. में लिया जाकर उसे Home Isolation हेतु निर्देशित किया जावे एवं इसकी सूचना संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दी जावे।

NABL मान्यता प्राप्त एवं ICMR से COVID-19 जांच हेतु अनुमोदित निजी जांच प्रयोगशालाओं (निजी अस्पतालों के अतिरिक्त) में कोविड-19 की जांच हेतु आने वाले मरीजों की सम्पूर्ण सूचना ऐसी निजी प्रयोगशालाओं के प्रबन्धन द्वारा संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को तत्काल दी जावे ताकि इन्हें Home Isolation में रखा जा सके।

उक्त आदेश की कड़ाई से पालना सुनिश्चित की जावे। उक्त आदेश की अवहेलना की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 की धारा 5 के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

अखिल अरोरा,  
प्रमुख शासन सचिव।

3890

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।